बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–25/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत आमजनों को BHAVYA App के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। BHAVYA Portal का अनुश्रवण मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग में अवस्थित कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर से किया जाता है। BHAVYA Portal के डाटा का अनुश्रवण के दौरान पाया गया कि डॉ० अशोक कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढी दिनांक–24.06.2025 को रोस्टर के अनुसार 3:00 बजें से 5:00 बजें अपराह्न तक अनुपस्थित थे। फिर भी उनके आई०डी० में 129 मरीजों को देखने का डाटा अपलोड किया गया है। उनके द्वारा दिनांक–24.06.2025 को एक मरीज को कमजोरी की शिकायत करने पर दिए गए चिकित्सीय परामर्श को BHAVYA Portal पर अपलोड किया गया है। ऐसे में उन्हें कमजोरी के लिए दवा देना चाहिए था, उसके बजाय मरीज को Rabies Vaccine (ARV) देने का BHAVYA Portal पर प्रविष्टि अंकित किया गया है। सिविल सर्जन, सीतामढी द्वारा डॉ० सिंह को दिनांक–26.06.2025 को विभाग में वीडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से आयोजित बैठक में उपस्थित होने के निदेश देने बावजूद वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे।

2. डॉ० सिंह द्वारा पदीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में डॉ० सिंह का मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में डॉ० अशोक कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–25/2025(स्वा0) ..735(9).. **/पटना, दिनांकः–**..08.7.25..

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।
08/07/2025

ज्ञापांकः—9 / आ0—03—25 / 2025(स्वा0) 735(9) / पटना, दिनांकः— 08.07.25

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन, सीतामढी / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—डॉ० अशोक कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

08/07/2025

सरकार के अवर सचिव।